प्रेस विज्ञप्ति

22.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इंस्टेंट लोन ऐप्स मामलों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से संबंधित बैंक शेष और सावधि जमा के रूप में 19.39 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत 242 तत्काल ऋण मोबाइल एप्लिकेशन के खिलाफ दर्ज 118 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। फिनटेक कंपनियाँ कई ऋण ऐप चला रही थीं और उधारकर्ताओं से बहुत अधिक प्रोसेसिंग शुल्क, अत्यधिक ब्याज दरें और दंडात्मक शुल्क वसूल रही थीं। ऋण ऐप्स का उपयोग आरबीआई/सरकारी प्राधिकारियों से वैध लाइसेंस के बिना या निष्क्रिय/प्रसुप्त/गैर-कार्यात्मक एनबीएफसी के लाइसेंस का उपयोग करके गैर-बैंकिंग वित्त व्यवसाय चलाने के लिए किया जा रहा था। ऋण स्वीकृत करते समय, ग्राहकों/उधारकर्ताओं के सभी संपर्क विवरण, फोटो और व्यक्तिगत डेटा ऋण ऐप्स के माध्यम से लिए जा रहे थे। इस डेटा का टेली-कॉलर कंपनियों के माध्यम से दुरुपयोग किया गया, ताकि बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए उधारकर्ताओं के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जा सके और अपमानजनक टिप्पणियों के साथ उनके संपर्कों को उधारकर्ताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें भी भेजी जा सकें। उधारकर्ताओं को अन्य संबंधित ऋण अनुप्रयोगों(ऐप्स) से ऋण लेकर अपने मौजूदा ऋण चुकाने का भी सुझाव दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता ऋण जाल में फंस गए।

ईडी की जांच से पता चला कि कुछ मोबाइल ऐप जैसे 'ऑनलाइन लोन', 'रुपिया बस', 'फ्लिप कैश', 'रुपी स्मार्ट' आदि मेसर्स निमिशा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [एक एनबीएफसी] और मेसर्स स्काईलाइन इनोवेशन टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (चीनी निदेशकों वाली फिनटेक कंपनी) से जुड़े थे और अपराध की आय इन मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऋण व्यवसाय द्वारा उत्पन्न की गई थी। इसके अलावा, मेसर्स स्काईलाइन ने इसी तरह की गतिविधि करने के लिए एक एनबीएफसी, राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (आरआईटीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया और इस प्रक्रिया में कुल 20 करोड़ रुपये की अपराध आय आरआईटीएल को हस्तांतरित कर दी। हालाँकि, पुलिस द्वारा मेसर्स स्काईलाइन के निदेशकों की गिरफ्तारी और आपराधिक कार्यवाही शुरू होने के कारण, 20 करोड़ रुपये की उक्त राशि, जो मेसर्स स्काईलाइन द्वारा उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) थी, का उपयोग एम /एस आरआईटीएल द्वारा ऋण व्यवसाय के लिए नहीं किया गया था या मैसर्स स्काईलाइन को वापस लौटा दिया गया। इसके बजाय, मेसर्स आरआईटीएल ने उक्त पीओसी को बरकरार रखा और उसके बाद इसे छुपाने और पलटने के इरादे से, पीओसी को उनके द्वारा नियंत्रित विभिन्न संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खातों में स्थानांतरित कर दिया। धन के बारे में जानकारी छिपाने के लिए अपराध की आय का एक हिस्सा नकद में भी निकाला गया। पीएमएलए जांच के दौरान किए गए मनी ट्रेल के कारण मेसर्स निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स राजकोट इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट लिमिटेड, मेसर्स महानंदा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और मेसर्स बास्किन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के बैंक खातों/सावधि जमा में कुल 19.39 करोड़ रुपये के इन पीओसी को कुर्क किया गया। ।

आगे की जांच जारी है।